6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

# सिक्किम विश्वविद्यालय
# SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

**SU/REG/F-1/10/2024/VOL-II/835** **Date: 13.02.2025**

**ADVISORY 31 / 2025**

As per the directions of the Ministry of Home Affairs a Conference Visa is granted to a foreigner for attending international conferences, seminars, workshops etc. in India. Further, prior clearance of the Ministry of Home Affairs is required for holding international conferences/ seminars/ workshops is required in case of the following.

a) If there are participants from Afghanistan, Pakistan, Iraq, Sudan, foreigners of Pakistani origin and Stateless persons, and

b) If the participants are required to visit 'Restricted' or 'Protected' areas in India, Jammu & Kashmir and the North Eastern States (other than the States of Manipur, Mizoram and Nagaland).

In view of the above, an advisory is hereby issued to mandatorily follow the above guidelines for inviting foreign participants / delegates / resource persons / experts for deliberations in international conferences/seminars/workshops being organize / to be organized in Sikkim University. It may be noted that a foreign national (s) entered in the State of Sikkim in tourist visa should be discouraged for inviting for a lecture / deliberation in the department. Prior permission from the Ministry of External Affairs (MEA) and Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India may be sought if interested to invite foreign experts / resource persons for a talk / seminar/ workshop etc.

This is issued with the approval of the competent authority.

(Prof. Laxuman Sharma)
**REGISTRAR (I/C)**
कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

**Copy for information**:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. Deans of Schools of Studies
7. Dean Students' Welfare
8. Head(s)/In-charge(s) of all Departments
9. Website Committee for necessary uploading on the website
10. Guard File
11. Office copy

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

**SU/REG/Acad./F-1/06/2021/VOL-IV/835** **दिनांक : 13.02.2025**

**परामर्शिका-31 / 2025**

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिभागियों को कॉन्फ्रेंस वीज़ा दिया जाता है। इसके अलावा, निम्नलिखित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

क) यदि प्रतिभागी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सूडान, पाकिस्तानी मूल के विदेशी और राज्यविहीन व्यक्ति हों, और

ख) यदि प्रतिभागियों को भारत, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों (मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्य को छोड़कर) में 'प्रतिबंधित' या 'संरक्षित' क्षेत्रों का दौरा करने की आवश्यकता हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे/आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में विचार-विमर्श के लिए विदेशी प्रतिभागियों/प्रतिनिधियों/संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए एक परामर्शिका जारी की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यटक वीजा पर सिक्किम राज्य में प्रवेश करने वाले किसी विदेशी नागरिक को विभाग में व्याख्यान/विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि आप किसी वार्ता/सेमिनार/कार्यशाला आदि के लिए विदेशी विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित करने में रुचि रखते हैं, तो विदेश मंत्रालय (एमईए) और गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार से पूर्वानुमति ली जानी चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**(प्रो. लक्ष्मण शर्मा)**
**कुलसचिव (प्रभारी)**
कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

**सूचनार्थ प्रतिलिपि** :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. वैबसाइट समिति – वैबसाइट में आवश्यक अद्यतन हेतु
10. सुरक्षा फ़ाइल